पंचायत जन प्रतिनिधियों के लिये बाल संरक्षण प्रशिक्षण मोड्यूल

पंचायत जन प्रतिनिधियों हेतु

बाल संरक्षण प्रशिक्षण मॉड्यूल

संरक्षक

गुरजोत कौर
अतिरिक्त मुख्य सचिव (प्रशिक्षण) एवं
महानिदेशक
हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन
संस्थान, जयपुर

मार्गदर्शन

राजेश यादव
सिनियर फैलो
बाल संदर्भ केन्द्र
एचसीएम रीपा, जयपुर

परामर्श

संजय कुमार निराला
युनिसेफ, जयपुर

गोविन्द बेनीवाल
अन्ताक्षरी फाउण्डेशन, जयपुर

संयोजन

लविना राठौड़

संपादन

सत्यदेव बारहठ

लेखकगण

संतोष अग्रवाल
ज्योती शर्मा
बूटीराम
कुलदीप टेलर
दिनेश कुमार

प्रायोजक

युनिसेफ, जयपुर

आयोजन एवं प्रकाशन

बाल संदर्भ केन्द्र
एचसीएम रीपा, जयपुर

गुरजोत कौर
आई.ए.एस.

अतिरिक्त मुख्य सचिव (प्रशिक्षण)
महानिदेशक
ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान

सत्यमेव जयते

जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
जयपुर–302 017

फोन : +91-141-2706556
फैक्स : +91-141-2705420
: +91-141-2702932

प्रस्तावना

विकेंद्रीकृत योजनाओं एवं इसके क्रियान्वयन के महत्व को देखते हुए भारत के संविधान में 73वें संशोधन के द्वारा पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित की गई है। पंचायती राज त्रि–स्तरीय व्यवस्था में पंचायत जमीनी स्तर की अन्तिम एवं महत्वपूर्ण ईकाई है। साथ ही वह बाल संरक्षण को मूर्त रूप देने के लिए एक अहम कड़ी है, जिसे बच्चों के मुद्दों पर सक्रियता से कार्य करने की आवश्यकता है।

पंचायत जनप्रतिनिधियों की यह जवाबदेही है कि वे अपने क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के विकास तथा संरक्षण के लिए कार्य करें तथा पंचायत में बाल मैत्रीपूर्ण वातावरण का निर्माण करें।

पंचायत जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत स्तर पर मौजूद सभी सार्वजनिक संस्थाओं जैसे स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, छात्रावास, उप स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि की बेहतर निगरानी कर सकते हैं तथा वे बच्चों को संरक्षित वातावरण प्रदान कर सकते हैं।

पंचायत प्रतिनिधि बच्चों के संरक्षण से संबधित कार्य योजनाओं का नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी प्रभावकारी तरीके से कर सकते हैं। इसी सन्दर्भ में पंचायत में बाल संरक्षण मुद्दों को चिन्हित करने, कार्य योजना बनाने तथा बनी हुई कार्य योजना को प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन करने हेतु तथा उन्हें बाल संरक्षण मुद्दों पर संवेदनशील बनाने हेतु यह प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया है।

इस प्रशिक्षण मॉडयूल में बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार विषय पर पंचायत प्रतिनिधियों की बेहतर समझ व जानकारी विकसित करने हेतु विभिन्न सत्र समाहित किये गये हैं, जिसमें बच्चे की परिभाषा, बाल अधिकार, बाल संरक्षण, विभिन्न स्तरों पर बाल संरक्षण संरचनाएं तथा बाल कल्याणकारी योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। मॉड्यूल में पंचायत कैसे बाल सुरक्षित व बाल मैत्री वातावरण स्थापित कर आदर्श पंचायतों में सम्मिलित हो सकती है, इस पर विस्तृत रूप से सहजकर्ता को चर्चा करने हेतु सन्दर्भ सामग्री मॉड्यूल में उपलब्ध है।

प्रस्तुत प्रशिक्षण मॉड्यूल विशेषज्ञ समूह द्वारा तैयार किया गया है। हम उन सबके प्रति आभार प्रकट करते हैं। मॉड्यूल में उपयोग की गई भाषा सरल एवं सुबोध है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह प्रशिक्षण मॉड्यूल पंचायत प्रतिनिधि को बाल संरक्षण के मुद्दों के प्रति जागरूक करने एवं उसके विभिन्न पहलुओं को समझकर अपनी भूमिका प्रभावी बनाने में उपयोगी साबित होगा।

शुभकामनाओं के साथ।

गुरजोत कौर

अनुक्रमणिका

	विषय–वस्तु	पृष्ठ संख्या
स्वागत, परिचय, अपेक्षाएं, प्रशिक्षण के उद्देश्य एवं महत्त्व	• आपस में मेल मिलाप • प्रतिभागियों की प्रशिक्षण से अपेक्षाएं • कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय • कार्यक्रम का उद्देश्य	10
बच्चा एवं बच्चे की विशेष देखभाल	• बालक की परिभाषा • बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता क्यों है • विशेष देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणियां समझना	13
बाल अधिकार	• इच्छा, जरुरत एवं अधिकार का शाब्दिक अर्थ समझना • बाल अधिकार • यू.एन.सी.आर.सी. द्वारा प्रदत्त चार अधिकार	15
बाल संरक्षण	• बाल संरक्षण क्या है • बच्चों के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा, शोषण एवं दुर्व्यवहार को पंचायत के परिप्रेक्ष्य में समझना • संरक्षणात्मक वातावरण के सूचक एवं पंचायत की भूमिका	19
विभिन्न स्तरों पर बाल संरक्षण की संरचनाएं	• समेकित बाल संरक्षण योजना के विषय में जानकारी देना • बाल संरक्षण के लिए गठित विभिन्न संरचनाओं जैसे आर.एस.सी.पी.एस., डी.सी.पी.यू, पी.एल.सी.पी.सी., बी.एल.सी.पी.सी, सी.डब्लू.सी., जे.जे.बी., एस.जे.पी.यू एवं चाइल्डलाइन आदि	22
बाल कल्याणकारी योजनाएं	सामजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में जानकारी देना	28
बच्चों के लिए संरक्षणात्मक वातावरण निर्माण हेतु समेकित कार्य–योजना बनाना	• विशेष देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता एवं अन्य जरूरतमंद बच्चों की पहचान करना • ग्राम पंचायत का विशेष डाटाबेस तैयार करना • उपलब्ध डाटाबेस के आधार पर पंचायत बाल संरक्षण कार्य योजना तैयार करना	34
प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन	पूर्व एवं पश्चात प्रशिक्षण	36

समय सारणी

सत्र	समय	विषय
1	9:30 से 10:30 बजे तक	स्वागत, परिचय, अपेक्षाएं, प्रशिक्षण के उद्देश्य एवं महत्त्व
2	10:30 से 11:30 बजे तक	बच्चा एवं बच्चे की विशेष देखभाल
	11:30 से 11:45 बजे तक	**चाय अवकाश**
3	11:45 से 12:45 बजे तक	बाल अधिकार
4	12:45 से 1:45 बजे तक	बाल संरक्षण
	1:45 से 2:15 बजे तक	**भोजन अवकाश**
5	2:15 से 3:15 बजे तक	विभिन्न स्तरों पर बाल संरक्षण की संरचनाएं
6	3:15 से 4:15 बजे तक	बाल कल्याणकारी योजनाएं
7	4:15 से 5:15 बजे तक	बच्चों के लिए संरक्षणात्मक वातावरण निर्माण हेतु समेकित कार्य–योजना बनाना
8	5:15 से 5:45 बजे तक	प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन

प्रशिक्षण का लक्षित समूह

सरपंच, ग्राम पंचायत
वार्ड पंच (समस्त)
प्रधानाध्यापक, स्थानीय राजकीय विद्यालय/आदर्श विद्यालय
ए.एन.एम., ग्राम पंचायत
आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, ग्राम पंचायत
अध्यक्ष, संबंधित शाला प्रबंधन समिति, स्थानीय राजकीय विद्यालय/आदर्श विद्यालय
दो बाल प्रतिनिधि (कम से कम एक बालिका), (उम्र 12–18 वर्ष)
समुदाय के दो सम्मानित सदस्य/नागरिक समाज के प्रतिनिधि
स्थानीय स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

क्र.स.	विषय	विषयसूची	उद्देश्य	परिणाम	कार्यविधि	समय
1.	स्वागत, परिचय, अपेक्षाएं, प्रशिक्षण के उद्देश्य एवं महत्त्व	• आपस में मेल मिलाप • प्रतिभागियों की प्रशिक्षण से अपेक्षाएं • कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय • कार्यक्रम का उद्देश्य	प्रतिभागियों को कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हुए आपस में परिचय करवाना।	सभी प्रतिभागी कार्यक्रम तथा अन्य सहभागियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा एक दूसरे से बातचीत करने में सहज महसूस करेंगे।	बातचीत /चर्चा	60 मिनिट
2.	वातावरण निर्माण	• बाल संरक्षण एवं पंचायत की भूमिका	बाल संरक्षण विषय पर प्रतिनिधियों को संवेदनशील करना।	पंचायत प्रतिनिधि बाल संरक्षण मुद्दे पर संवेदनशील होते हुए इस विषय पर भावी कार्य योजना बनाने हेतु प्रेरित होंगे।	बातचीत /चर्चा	20 मिनिट
3.	बच्चा एवं बच्चे की विशेष देखभाल	• बालक की परिभाषा • बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता क्यों है ? • विशेष देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणियां	प्रतिभागियों को विभिन्न अधिनियमों में परिभाषित ''बच्चे'' की परिभाषा से अवगत करवाना तथा विशेष देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणियों के विषय में समझ विकसित करना।	प्रतिभागी बच्चे की परिभाषा तथा विशेष देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणियों से अवगत होंगे।	बातचीत /चर्चा केस स्टडीज	20 मिनिट
4.	बाल अधिकार	• इच्छा, जरुरत एवं अधिकार का शाब्दिक अर्थ समझना • बाल अधिकार • यू.एन.सी.आर.सी. द्वारा प्रदत्त अधिकार	प्रतिभागियों की बाल अधिकार तथा यू.एन.सी.आर.सी द्वारा प्रदत चार अधिकारों के विषय में समझ विकसित करना।	प्रतिभागियों की बाल अधिकार तथा यू.एन.सी.आर.सी द्वारा प्रदत चार अधिकारों के विषय में समझ विकसित होगी।	बातचीत /चर्चा /केस स्टडीज	20 मिनिट
5.	बाल संरक्षण	• बाल संरक्षण क्या है ? • बच्चों के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा, शोषण एवं दुर्व्यवहार को पंचायत के परिप्रेक्ष्य में समझना। • संरक्षणात्मक वातावरण के सूचक एवं पंचायत की भूमिका।	बाल संरक्षण को समझना एवं पंचायत में बाल सुरक्षित व बालमैत्री वातावरण निर्माण हेतु विभिन्न सूचकों पर समझ विकसित करना।	बच्चों पर हो रही विभिन्न प्रकार की हिंसा, शोषण एवं दुर्व्यवहार से जुडे मुद्दों को समझकर सुरक्षित व बालमैत्री वातवरण निर्माण हेतु विभिन्न सूचकों को चिन्हित करने में समझ विकसित करेगें।	बातचीत /चर्चा केस स्टडीज	30 मिनिट

6.	विभिन्न स्तरों पर बाल संरक्षण की संरचनाएं	• समेकित बाल संरक्षण योजना के विषय में जानकारी देना। • बाल संरक्षण के लिए गठित विभिन्न संरचनाओ जैसे आर.एस.सी.पी.एस., डी.सी.पी.यू, पी.एल.सी.पी.सी, बी.एल.सी.पी.सी, सी.डब्लू.सी., जे.जे.बी., एस.जे.पी.यू एवं चाइल्डलाइन आदि।	बाल संरक्षण के लिए उपलब्ध संरचनाओ एवं अधिनियमों के विषय में समझ विकसित करना।	उपलब्ध संरचनाओं एवं अधिनियमों के सहयोग से सहभागी पंचायत में बाल संरक्षण को सुदृढ़ करने में योग्य होंगे।	बातचीत /चर्चा फ्लिप–बुक	30 मिनिट
7.	बाल कल्याणकारी योजनाएं	सामजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में जानकारी देना	केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न बाल कल्याणकारी/सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से प्रतिभागियों को अवगत कराना।	संकटग्रस्त बच्चों एवं परिवारों को उपलब्ध बाल कल्याणकारी/सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ाव करवाने में सक्षम होना।	बातचीत /चर्चा/ आई.ई.सी. वितरण	40 मिनिट
8.	बच्चों के लिए संरक्षणात्मक वातावरण निर्माण हेतु समेकित कार्य–योजना बनाना	• विशेष देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता एवं अन्य जरूरतमन्द बच्चों की पहचान करना। • ग्राम पंचायत का विशेष डाटाबेस तैयार करना। • उपलब्ध डाटाबेस के आधार पर पंचायत बाल संरक्षण कार्ययोजना तैयार करना।	संकटग्रस्त परिवारों एवं बच्चों को संरक्षित करने हेतु पंचायत स्तरीय कार्ययोजना तैयार करने में सहभागियों की समझ विकसित करना।	सहभागी पंचायत स्तरीय कार्य योजना बनाने तथा इसका क्रियान्वयन करने हेतु सक्षम होंगे।	बातचीत /चर्चा केस स्टडीज	40 मिनिट
9.	प्रक्षिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन	पूर्व एवं पश्चात् प्रशिक्षण	प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रभावकारिता को जानना।	प्रशिक्षण पश्चात् प्रतिभागियों की समझ में बढ़ोतरी का मूल्यांकन होगा।	बातचीत /चर्चा /आई.ई.सी. वितरण	20 मिनिट

सत्र 1

स्वागत एवं परिचय

60 मिनट

- **उद्देश्य**
  - प्रतिभागियों को कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना।
  - सभी प्रतिभागियों का आपस में परिचय करवाना।
  - प्रतिभागियों की प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधित अपेक्षाओं के बारे में जानना।
  - प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व को साझा करना।
  - परियोजना में जन प्रतिनिधियों की भूमिका जानना।

- **विधा** :परिचय, चर्चा, प्रस्तुतीकरण

सामग्री :प्रोजेक्टर, पंजीकरण प्रपत्र, पैन, फाइल, बैग एवं पठन सामग्री, कार्डशीट, स्कैच पैन, फ्लिप चार्ट, मार्कर, संभागियों की संख्यानुसार कागज की पर्चियां।

- **परिचय**

इस सत्र में सभी प्रतिभागी एक दूसरे का व्यक्तिगत परिचय प्राप्त कर सकेंगे। इससे झिझक खुलेगी व प्रशिक्षण का वातावरण निर्माण हो सकेगा तथा प्रतिभागी सहजता व सहभागिता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही प्रतिभागियों की प्रशिक्षण से संबंधित अपेक्षाएं, प्रशिक्षण के उद्देश्य व पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में समझ बन सकेगी।

गतिविधि–1 परिचय

- **चरण–1**

परिचय हेतु प्रत्येक प्रतिभागी को एक पर्ची पर अपना नाम, पद एवं संक्षिप्त परिचय लिखने को कहें।

- **चरण–2**

परिचय लिखी सभी पर्चियों को एक डिब्बे में एकत्रित करें। तत्पश्चात् प्रत्येक प्रतिभागी को डिब्बे में से कोई भी एक पर्ची निकालने को कहें एवं जिस प्रतिभागी की पर्ची निकली है उस प्रतिभागी को खड़ा होना होगा। पर्ची निकालने वाला व्यक्ति संबंधित प्रतिभागी का परिचय पढ़ कर सुनायेगा। इस प्रकार समस्त प्रतिभागियों का आपस में परिचय कराएं।

गतिविधि–2 चर्चा

- **चरण–1**

सन्दर्भ व्यक्ति प्रतिभागियों से चर्चा व बातचीत द्वारा अपेक्षाएं जानने का प्रयास करेगा एवं प्रतिभागियों द्वारा बताई गई अपेक्षाओं को फ्लिप चार्ट पर लिखता जायेगा। तत्पश्चात् प्राप्त अपेक्षाओं को संकलित करके प्रतिभागियों से साझा करेगा।

➢ **चरण–2**

प्रतिभागियों से प्राप्त अपेक्षाओं के अनुसार सन्दर्भ व्यक्ति आवश्यकतानुसार अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेगा।

गतिविधि–2 प्रस्तुतीकरण

➢ **चरण–1**

एलसीडी प्रोजेक्टर की सहायता से प्रशिक्षण के उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व, परियोजना, उसकी मुख्य गतिविधियों व प्रतिभागियों की परियोजना में क्या भूमिका है इसकी जानकारी प्रतिभागियों को दें।

➢ **चरण–2**

प्रतिभागियों से परियोजना के बारे में विस्तृत चर्चा करें।

- **संभावित अपेक्षाएं**
- प्रतिभागियों को कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
- सभी प्रतिभागियों का आपस में परिचय हो सकेगा।
- प्रतिभागियों की प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधित अपेक्षाओं के बारे में जान सकेंगे।
- प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व को साझा कर सकेंगे।
- परियोजना में जन प्रतिनिधियों की भूमिका जान सकेंगे।

परिशिष्ट 1.1

बच्चों से संबंधित उपलब्ध आंकडों, ग्राम पंचायत/जिलें में बच्चों की स्थिति, मुख्य बाल संरक्षण मुद्दों को साझा करते हुए निम्नलिखित सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए विषय पर चर्चा करें तथा उन्हें प्रेरित करें, कि वे अपनी ग्राम पंचायत क्षेत्र में बच्चों के मुद्दों के समाधान हेतु पहल करें–

1. राजस्थान राज्य की कुल जनसंख्या का 43 प्रतिशत भाग 18 वर्ष से उम्र तक के बच्चे है तथा कुल जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा गांवों में निवास करता है।
2. पंचायतीराज के त्रि–स्तरीय व्यवस्था अन्तर्गत ग्राम पंचायत जमीनी स्तर की विकास की मुख्य ईकाई है जिसका मुख्य कार्य आधारभूत विकास के साथ–साथ सामाजिक व आर्थिक विकास भी करना है, जिसमें कि बच्चों का सर्वांगीण विकास भी पंचायत की जिम्मेदारी है।
3. पंचायत प्रतिनिधि पंचायत क्षेत्र में रह रहे जनसमूह का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा वहां के क्षेत्र के विकास के साथ–साथ बच्चों के विकास व संरक्षण के लिए भी जबावदेह है।
4. बच्चे आने वाले समय में ग्राम से तथा राष्ट्र के स्तर के विकास में मुख्य भागीदारी निभायेंगे, यह तभी संभव है जब बच्चों को सम्पूर्ण विकास हेतु उचित अवसर, देखरेख, संरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण मिले, जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके।
5. भविष्य में बच्चे ही पंचायत प्रतिनिधियों के लिए एक बड़ा वोट बैंक बनेंगे और पंचायत के विकास में सहायक सिद्ध होंगे।
6. बच्चों के उपर शोषण,हिंसा एवं दुर्व्यवहार की घटनाएं आए दिन विभिन्न माध्यमों से सामने आती है। बच्चे मजदूरी में लिप्त हैं तथा वे शिक्षा से वंचित है। बच्चों के साथ लिंग, जाति एवं धर्म के आधार पर भेदभाव उनके परिवार व समुदाय में आमतौर पर देखने को मिलता है।
7. हमारे समाज में विभिन्न रिति–रिवाज एवं सामाजिक कुरितियां जैसे कि बाल विवाह, बच्चों को अनैतिक कार्यों में सम्मिलित करना, टोना–टोटका के माध्यम से प्रताड़ित करना, लड़कियों की उपेक्षा आदि बालकों के प्रति दुर्व्यवहार/हिंसा को बढ़ावा देती हैं तथा इस कठिन परिस्थिति में बच्चों का सर्वांगीण विकास हो पाना असम्भव है। अतः इन सभी परिस्थितियों में पंचायत की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों पर हो रहे हिंसा, दुर्व्यवहार व शोषण को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठायें।

नोट– सन्दर्भ व्यक्ति अगर हो सके तो पंचायत/जिला के बाल संरक्षण से संबधित आंकड़ों (जैसे– बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल मजदूरी, बाल शोषण, यौन शोषण, स्कूलों में शारीरिक दंड इत्यादि) को संग्रहित कर प्रतिभागियों से साझा करें, ताकि प्रतिभागियों का बाल संरक्षण से संबंधित विभिन्न मुद्दों की वस्तुस्थिति से अवगत हो सके।

सत्र 2

बच्चा एवं बच्चे की विशेष देखभाल

60 मिनट

➨ **उद्देश्य**

- प्रतिभागियों को बच्चे की परिभाषा से अवगत कराना व बच्चों के प्रति पारंपरिक सोच से बाहर निकल कर सही जानकारी प्रदान करना।
- विशेष देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणियों के विषय में समझ विकसित करना।

➨ **विधा:** चर्चा

सामग्री: फ्लिप चार्ट, मार्कर।

➨ **परिचय**

हमारे देश में अलग–अलग परिपेक्ष एवं कानूनों में बच्चे की उम्र के अनुसार अलग–अलग परिभाषा दी गई है जिसे सभी के लिए जानना व समझना आवश्यक है। बच्चे वयस्कों की अपेक्षा ज्यादा कमजोर एवं असुरक्षित होते हैं। बच्चे अपनी सुरक्षा एवं कल्याण हेतु वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। इस समय में बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं भावनात्मक विकास हो रहा होता है जिसके लिए उन्हें विशेष देखभाल, पौष्टिक आहार, मार्गदर्शन, देखरेख और संरक्षण के लिए वयस्कों जैसे– माता–पिता/अभिभावक/संरक्षक/परिवार पर निर्भर रहना पड़ता है। अमुमन बच्चों को घर की महिलाओं के साथ जोड़कर कर देखा जाता है तथा इस दौरान उनकी अपनी कोई पहचान नहीं होती है। बच्चों के लिए बने हुए विभिन्न अधिनियम, योजनाएं व कल्याण हेतु कार्यक्रमों का सही से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, इसलिए बच्चे कमजोर एवं असुरक्षित हैं। ऐसा देखा गया है कि बच्चों ऊपर हो रही हिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण उनके माता–पिता, अभिभावक, परिवार या संबधियों द्वारा ही किया जाता है। सामाजिक परम्पराएं, रिति–रिवाज, संस्कृति भी विकृत रूप लेते हुए कहीं न कहीं बच्चों के ऊपर हो रहे हिंसा, दुर्व्यवहार एवं शोषण को बढ़ावा देती है इसलिए उन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है।

गतिविधि–1 चर्चा

➢ **चरण–1**

प्रतिभागियों से पूछें कि

- बच्चा किसे कहते हैं?
- कितनी उम्र तक का व्यक्ति बच्चा होता है?

➢ **चरण–2**

चर्चा के माध्यम से प्रतिभागियों को विभिन्न अधिनियमों में दी गई बच्चे की परिभाषा बताएं।

बालक की परिभाषा

- संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन, 1989 की परिभाषा के अनुसार ''बच्चा वह कहलाता है, जिसने अपनी आयु 18 वर्ष पूर्ण नहीं की है''।

- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अनुसार ''ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी आयु के 18 वर्ष पूर्ण नहीं किये हो बच्चा कहलाता है'' ।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के व्यक्ति को बच्चे की श्रेणी में रखा गया है ।
- बाल और किशोर श्रम अधिनियम, के अन्तर्गत 14 वर्ष तक के व्यक्ति को बच्चे की श्रेणी में रखा गया है ।

➢ **चरण–3**

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 में वर्णित विशेष देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणियों के बारें में विस्तारपूर्वक चर्चा करें ।

विशेष देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणियां

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 2 (14) में परिभाषित व अन्य जरूरतमंद बच्चों की श्रेणियां निम्नानुसार है–

1. अनाथ बच्चे / बेघर बच्चे
2. बाल मजदूरी / बाल भिक्षावृति / पलायन / शिक्षा से वंचित बच्चे
3. बाल हिंसा / दुर्व्यवहार / उपेक्षाा / शोषण के शिकार / प्रभावित बच्चे
4. गंभीर रोग / असाध्य रोग से पीड़ित / मानसिक रूप से बीमार / मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे
5. माता–पिता / संरक्षक मौजूद है,पर बच्चे को देखरेख और संरक्षण उपलब्ध कराने में अयोग्य
6. गुमशुदा या भागा हुआ बालक
7. माता–पिता द्वारा परित्यक्त या अभ्यर्पित बच्चे
8. लैंगिक अपराध या अवैध कार्यो के उद्देश्य से बच्चों का दुर्व्यवहार / प्रताड़ना / शोषण किया गया, किया जा रहा या किये जाने की संभावना वाले बच्चे
9. असुरक्षित / मादक द्रव्य दुरूपयोग / अवैध व्यापार / बाल तस्करी से पीड़ित / प्रभावित बच्चे
10. अयुक्तियुक्त / अविवेकपूर्ण अभिलाभों के लिए दुरूपयोग किया जा रहा है या किये जाने की संभावना वाले बच्चे
11. प्राकृतिक आपदा / सशस्त्र संघर्ष / सिविल उपद्रव्य से पीड़ित या प्रभावित बच्चे
12. बाल विवाह हो चुके या होने की संभावना वाले बच्चे
13. आजीवन कारावास प्राप्त कर चुके माता–पिता की संतान
14. विधवा / नाता / पुर्नविवाह करने वाली माता की संतान
15. अन्य श्रेणी

संभावित अपेक्षाएं

- प्रतिभागी बच्चे की परिभाषा से अवगत हो सकेंगे व बच्चों के प्रति पारंपरिक सोच से बाहर निकल कर सही जानकारी प्राप्त कर सकेंगे ।
- विशेष देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणियों के विषय में समझ विकसित हो सकेगी ।

सत्र 3

बाल अधिकार

60 मिनट

➡ **उद्देश्य**

- बच्चों के जीवन में उनकी आवश्यकताओं, इच्छाओं व उनके अधिकारों के बारें में समझना।
- बाल अधिकार व यूएनसीआरसी के बारे में जानना।

➡ **विधा :** चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण

सामग्री: फ्लिप चार्ट, मार्कर।

परिचय

अधिकार में न्यूनतम आवश्यक परिस्थितियां/जरूरतें हैं जो किसी भी व्यक्ति के सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने के लिए जरूरी हैं। सभी अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जीवन का अधिकार है। हम सब जानते हैं कि बच्चों का जीवन सबसे ज्यादा जोखिम में रहता है, इसलिए उनके अधिकारों के बारे में सही समझ बनाना जरूरी है। बाल अधिकार से तात्पर्य बालकों की उन अति आवश्यकताओं से है जिनके बिना बालकों का जीवन जीना कठिन है। बालकों को भी गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए कुछ विशेष अधिकारों की आवश्यकता है। ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी उम्र के 18 वर्ष पूर्ण नहीं किये हैं, उन्हें मानव अधिकार के साथ–साथ अन्य अधिकार भी प्रदत किये गये हैं। ये अधिकार प्रत्येक बच्चे को मिले इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार की है। हमारा संविधान बच्चों को उनके जीवन, विकास, सुरक्षा एवं सहभागिता का अधिकार देता है और साथ ही उन अधिकारों का सम्मान हो यह भी सुनिश्चित करता है। हमारी सरकार ने बाल अधिकारों पर संयुक्तराष्ट्र सम्मेलन के समझौते पर हस्ताक्षर कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दिखाई है। बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन न हो इसके लिए समाज के सभी वयस्क नागरिकों की भी साझी जिम्मेदारी होती है। बच्चों का वह होना जो वे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। इससे इस बात की संभावना होती है कि बच्चे राजनैतिकों एवं अन्य वयस्कों से उचित माँग कर सकें। बच्चों के साथ होने वाली यौन हिंसा हमारे समाज का एक घिनौना सच है। यौन हिंसा के हादसों के कारण बच्चे मानसिक व शारीरिक बिमारियों या अवसाद के शिकार हो जाते हैं। छोटी बच्चियों के साथ होने वाले लैंगिक अपराध के दौरान होने वाली शारीरिक प्रताड़ना के बाद वे दम तोड़ देती हैं। क्या हम ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जहां अपने ही परिवार व आस–पास में हमारे बच्चे सुरक्षित न हों। बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन चार मूल मार्गदर्शी सिद्धांतों पर काम करता है।

गतिविधि–1चर्चा

➢ **चरण–1**

- सन्दर्भ व्यक्ति चर्चा के माध्यम से सहभागियों को इच्छा, जरूरत एवं अधिकार का शाब्दिक अर्थ समझायेगा। इसके साथ–साथ सन्दर्भ व्यक्ति केस स्टडीज तथा चर्चा के माध्यम से बाल अधिकार के विषय में तथा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन में प्रदत बच्चों के अधिकार के विषय में विस्तार से चर्चा करेगा।
- सन्दर्भ व्यक्ति द्वारा प्रतिभागियों को इच्छा एवं जरूरत के विषय को समझाने हेतु तालिका में अंकित शब्दों को साझा करेगा तथा इनका का अर्थ बतायेगा।
- प्रतिभागियों को तालिका में अंकित शब्दों को तीन भाग में वर्गीकृत करने के लिए कहना है–कम आवश्यक, आवश्यक तथा अति–आवश्यक।

- कम–आवश्यक से तात्पर्य है कि उन सुवधिाओं के नहीं रहने पर भी जीवनयापन में कोई दिक्कत नहीं आयेगी। इसका संबंध इच्छा से है। आवश्यक सुविधा से तात्पर्य ऐसी सुविधा से है, जिसके नहीं होने पर जीवनयापन करने में कठिनाई आती है, इसका संबंध आवश्यकता या जरूरत से है। अति–आवश्यक से तात्पर्य है कि इसके बगैर जीवनयापन करना अति कठिन है। इसका तात्पर्य अधिकार से है। जैसे उपेक्षा एवं शोषण होने पर जीवन जीने में काफी कठिनाई होती है, लेकिन अगर बच्चे के पास साइकिल नहीं हो तब भी जीवन यापन किया जा सकता है। परन्तु सहज जीवनयापन के लिए घर का होना आवश्यक है।
- सन्दर्भ व्यक्ति उपरोक्त प्रकार से ही तालिका में अंकित अन्य सुविधाओं को विस्तारपूर्वक बतायेगा कि ये सुविधाएं किस श्रेणी में आती है।

स्वास्थ्य देखभाल	एक साइकिल
एक अच्छा आवास	नये फैशन के अनुसार कपड़े
छुट्टियों में घूमना	पोषक खाना
उपेक्षा एवं शोषण से सुरक्षा	शिक्षा
शुद्व हवा	व्यक्तिगत रेडियों
फास्ट फूड	खेल का मैदान
विचारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता	खर्च करने के लिए पैसा
स्वच्छ पानी	स्वंय का कमरा
एक कम्पयूटर	भेदभाव मुक्त व्यवहार

➢ **चरण–2**

- प्रतिभागियों को बताना है कि जीवन यापन करने में अति–आवश्यक सुविधाओं/जरूरतों को सरकार ने अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया है तथा जो सुविधाएं अधिकार के रूप में परिवर्तित हो चुकी हैं या अधिकार बन चुकी हैं उसे प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है, जैसे शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार,संरक्षण का अधिकार, आदि।
- प्रतिभागियों को यह भी साझा करना है कि यदि इच्छा या जरूरत की पूर्ति नहीं होती है तो उन्हें इसे प्राप्त करने के लिए स्वयं को संघर्ष करना होगा। इसके लिए सरकार या अन्य व्यक्ति/संगठन/संस्था से प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, परन्तु जब अधिकार की बात आती है वहां अधिकार प्राप्त करने वाला व्यक्ति अधिकार देने वाले व्यक्ति को बाध्य कर सकता है।

गतिविधि–2 प्रस्तुतीकरण

➢ **चरण–1**

प्रतिभागियों को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से भारतीय संविधान में उल्लेखित अधिकारों, बाल अधिकारों व यूएनसीआरसी के बारे में जानकारी प्रदान करें।

➢ **चरण–2**

प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिभागियों से सवाल–जवाब कर चर्चा में शामिल करें।

संभावित अपेक्षाएं

- बच्चों के जीवन में उनकी आवश्यकताओं, इच्छाओं व उनके अधिकारों के बारें में समझ सकेंगे।
- बाल अधिकार व यूएनसीआरसी के बारे में जान सकेंगे।

परिशिष्ट 3.1

बालकों को भी गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए कुछ विशेष अधिकारों की आवश्यकता है। ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी उम्र के 18 वर्ष पूर्ण नहीं किये हैं, उन्हें मानव अधिकार के साथ–साथ अन्य अधिकार भी प्रदत किये गये हैं। ये अधिकार प्रत्येक बच्चे को मिले इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार की है। हमारा संविधान बच्चों को उनके जीवन, विकास, सुरक्षा एवं सहभागिता का अधिकार देता है और साथ ही उन अधिकारों का सम्मान हो यह भी सुनिश्चित करता है। हमारी सरकार ने बाल अधिकारों पर संयुक्तराष्ट्र सम्मेलन के समझौते पर हस्ताक्षर कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दिखाई है। बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन न हो इसके लिए समाज के सभी वयस्क नागरिकों की भी साझी जिम्मेदारी होती है। बच्चों का वह होना जो वे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। इससे इस बात की संभावना होती है कि बच्चे राजनैतिकों एवं अन्य वयस्कों से उचित माँग कर सकें। बच्चों के साथ होने वाली यौन हिंसा हमारे समाज का एक घिनौना सच है। यौन हिंसा के हादसों के कारण बच्चे मानसिक व शारीरिक बिमारियों या अवसाद के शिकार हो जाते हैं। छोटी बच्चियों के साथ होने वाले यौन दुराचार के दौरान होने वाली शारीरिक प्रताड़ना के बाद वे दम तोड़ देती हैं। क्या हम ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जहां अपने ही परिवार व आस–पास में हमारे बच्चे सुरक्षित न हों। बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन चार मूल मार्गदर्शी सिद्धांतों पर काम करता है।

भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों के अधिकार

1. अनुच्छेद 14 : समानता का अधिकार –विधि के समक्ष सभी नागरिक समान है।
2. अनुच्छेद 15 : भेदभाव से संरक्षण का अधिकार– धर्म, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से संरक्षण का अधिकार
3. अनुच्छेद 21: व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकार
4. अनुच्छेद 23: अवैध व्यापार, बन्धुआ मजदूरी से संरक्षण का अधिकार
5. अनुच्छेद 46: कमजोर वर्ग का सामजिक असमानता और सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण का अधिकार।
6. अनुच्छेद 21: अनिवार्य एवं मुफ्त प्रारम्भिक शिक्षा–6–14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त प्रारम्भिक शिक्षा का अधिकार
7. अनुच्छेद 24 : 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के खतरनाक एवं हानिकारक व्यवसाय/कार्यों में नियोजन से सरंक्षण का अधिकार।
8. अनुच्छेद 39(E): उम्र एवं क्षमता के विपरीत किसी व्यक्ति को आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यवसाय में बलपूर्वक नियोजन कर दुर्व्यवहार एवं शोषण से संरक्षण का अधिकार।
9. अनुच्छेद 39(F): बाल्यावस्था में बच्चों एवं युवाओं के सम्पूर्ण विकास हेतु समान अवसर, सुविधाओं के साथ–साथ स्वतंत्रता एवं गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना।
10. संविधान का अनुच्छेद 15 (3) बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष उपबन्ध लाकर राज्य को इसे लागू करने के लिए निर्देशित करता है।

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन (यू.एन.सी.आर.सी.) द्वारा प्रदत्त अधिकार

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार घोषणा जिसे भारतवर्ष ने 1992 में अंगीकृत किया है, के अनुसार बच्चों को उनकी बढ़ती हुई उम्र की जरूरतों के हिसाब से अधिकारों, जिसमें कि जीवन जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार एवं सहभागिता का अधिकार का उल्लेख करता है, यह अधिकार सभी बच्चों को बिना किसी धर्म, जाति, लिंग भेदभाव के बिना स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन के मुख्य बिन्दु इस प्रकार है–

1. संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन में उल्लेखित सभी अधिकार समान रूप से बालकों एवं बालिकाओं को जिसने अपनी उम्र 18 वर्ष पूर्ण नहीं की है, को देने की बात कही है। बावजूद इसके कि उस बच्चे का विवाह हो चुका है या उसके खुद के बच्चे हैं।
2. यह अधिवेशन सर्वोत्तम बालहित, बिना भेदभाव तथा बच्चों के विचारों का सम्मान करना संबंधी सिद्धान्तों पर आधारित है।
3. यह अधिवेशन परिवार की महत्वता एवं हितकर वातावरण निर्माण के ऊपर बल देता है, जहां बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके।
4. यह अधिवेशन राज्य की यह जिम्मेदारी निर्धारित करता है कि वो अपने राज्य के बच्चों के विकास के लिए उचित एवं समान अवसर मिले, यह सुनिश्चित करें।
5. यह अधिवेशन राज्य को नागरिक, राजनैतिक, सामाजिक,आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों को संकलित करते हुए बच्चों के लिए चार प्रकार के अधिकारों का उल्लेख करता है–
   - जीवन जीने का अधिकार
   - विकास का अधिकार
   - संरक्षण का अधिकार
   - सहभागिता एवं सुनवाई का अधिकार

जीवन जीने का अधिकार	**विकास का अधिकार**
• जन्म लेने का अधिकार • उचित स्वास्थ्य प्राप्त करने का अधिकार • पौष्टिक आहार • जीवन जीने के पर्याप्त मानक • राष्ट्रीयता का अधिकार	• शिक्षा • बाल्यावस्था के पूर्व एवं दौरान देखभाल एवं विकास में सहायता • खेलकुद, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक गतिविधि करने का अधिकार • समाजिक सुरक्षा
संरक्षण का अधिकार	**सहभागिता का अधिकार**
• शोषण • दुर्व्यवहार • अमानवीय व्यवहार • उपेक्षा • विशेष परिस्थितियों में विशेष सुरक्षा जैसे– आपातकालीन, सशस्त्र संघर्ष, विकलांगता इत्यादि परिस्थितियों में।	• बच्चे के विचार को सम्मान प्रदान करना। • अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता • सही जानकारी हेतु बच्चो की पहुंच। • विचारों, विवेक एवं धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता।

सत्र 4

बाल संरक्षण 60 मिनट

- **उद्देश्य**
  - बाल संरक्षण को समझना एवं पंचायत में बाल सुरक्षित व बालमैत्री वातावरण निर्माण हेतु विभिन्न सूचकों पर समझ विकसित करना।
  - बच्चों के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा, शोषण एवं दुर्व्यवहार को पंचायत के परिपेक्ष में समझना।

- **विधा :** वार्मअप, मति मंथन एवं खुली चर्चा

सामग्री : फ्लिप चार्ट, मार्कर।

- **परिचय**

बच्चे हमारे समाज का अत्यन्त जोखिमपूर्ण वर्ग है। यदि देश के भविष्य को सुरक्षित करना है तो बच्चों की विशेष देखभाल और सुरक्षा करनी होगी। सामाजिक विकास की प्राथमिकताओं में बाल विकास एवं बाल कल्याण सम्मिलित हैं। बच्चे राष्ट्र की धरोहर हैं इस नाते उनकी परवरिश इस तरह की जानी चाहिए कि वे दबंग, शारीरिक रूप से फिट, मानसिक रूप से सचेत तथा नैतिक रूप से स्वस्थ नागरिक बन सकें। बच्चे हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं और हमारी ये जिम्मेदारी बनती हैं कि हम उनकी जरूरतों को पूरा करें और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें। बाल संरक्षण और बाल अधिकारों के प्रति लापरवाही और उपेक्षा एक ऐसा अपराध है जो अन्य अपराधों से बहुत अधिक घातक है। आज के लिए हम कल जवबदेह नहीं हो सकते। आज जो करना है वह आज ही करना होगा। हमें बाल संरक्षण और बाल अधिकारों की रक्षा के लिए इन्हें समझना, इनके महत्व को समझना तथा उन्हें लोगों तक पहुंचाना होगा। उनकी रक्षा हेतु सक्रिय प्रयास करने होंगे।

गतिविधि–1 वार्मअप

➢ **चरण–1**

प्रतिभागियों से पूछें कि

- बाल संरक्षण क्या है?
- बच्चों को किन परिस्थितियों में संरक्षण की आवश्यकता होती है?

➢ **चरण–2**

प्रतिभागियों को बाल संरक्षण के बारे में बताएं व उनसे चर्चा करें।

- बाल संरक्षण से तात्पर्य बच्चों पर हो रही हिंसा, शोषण एवं दुर्व्यवहार से संरक्षण प्रदान करना है तथा जिन बच्चों के

साथ इस तरह की घटना हो चुकी है, उसे उचित सेवा प्रदान कर सामान्य स्थिति में लाना है एवं समाज में पुनर्वासित करना है।

➢ **चरण–3**

प्रतिभागियों को बताएं कि बाल संरक्षण की आवश्यकता निम्नलिखित स्थितियों में होती है–

- बच्चे को मारना, पीटना, झकझोरना, जलाना, खाना नहीं देना इत्यादि।
- अपशब्दों का उपयोग करना, गाली देना, ध्यान नहीं देना, देखरेख और प्यार नहीं देना।
- लैंगिक शोषण, लैंगिक हिंसा, लैंगिक दुर्व्यवहार, अश्लील हरकतें, अंग प्रदर्शन इत्यादि।
- देखरेख नहीं करना, बच्चों की जरूरतों का ध्यान नहीं रखना, बालक–बालिका के बीच भेदभाव करना, आदि।

नोट

इस तरह के व्यवहार से बच्चों को बचाने के लिए बाल संरक्षण कार्यक्रम के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। बच्चों का संरक्षण करना न केवल परिवार की जिम्मेदारी है बल्कि प्रशासन, सरकार, जनप्रतिनिधि, लोक सेवक, आदि सभी की संयुक्त जिम्मेदारी है।

गतिविधि–2 मति मंथन

➢ **चरण–1**

पंचायत में बच्चों के साथ जाने–अनजाने में हो रहे हिंसा, दुर्व्यवहार व शोषण को चिन्हित करने के लिए प्रतिभागियों के साथ चर्चा करें। प्रतिभागियों से जानकारी निकलवाने हेतु उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछें जैसे–

सवाल	संभावित जवाब
ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की दैनिक दिनचर्या क्या होती है ?	▪ सुबह उठना ▪ खेतों में घुमना ▪ पशु चराना ▪ छोटे भाई–बहनों की देखभाल करना ▪ घर की रखवाली करना
बालिकाएं शिक्षा से वंचित क्यों रहती है ?	▪ स्कूल का दूर होना ▪ रास्ता सुनसान होना ▪ साधन न होना ▪ किसी दूसरी बालिका का साथ न होना ▪ जल्दी शादी कर देना

नोट

सन्दर्भः व्यक्ति पंचायत में बाल शोषण को चिन्हित करने हेतु अन्य आवश्यक प्रश्न भी पूछ सकते हैं तथा बाल शोषण के प्रकार को सूचीबद्व कर सकते हैं।

गतिविधि- 3 खुली चर्चा

➢ **चरण-1**

पंचायत में संरक्षणात्मक वातावरण निर्माण हेतु पंचायत में किस तरह का वातावरण हो तथा इसके विशेष सूचक क्या हों, इस विषय पर प्रतिभागियों से खुली चर्चा करें।

➢ **चरण-2**

बच्चों के लिए पंचायत में संरक्षणात्मक वातावरण निर्माण हेतु प्रतिभागियों को स्वयं सूचक बनाने हेतु प्रेरित करें एवं इनका क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाए पर चर्चा करें।

संरक्षणात्मक वातावरण निर्माण के लिए मार्गदर्शी सूचक इस प्रकार हो सकते हैं–

- प्रत्येक बच्चे का जन्म पंजीकरण सुनिश्चित हो।
- तीन से छः साल तक के गांव के सभी बच्चे नियमित रूप से आंगनबाडी में जाये।
- छः साल से बड़े सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन, ठहराव व नियमितता सुनिश्चित हो।
- विद्यालय में बच्चों के लिए शौचालय सुविधा (बालक–बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय) उपलब्ध हों।
- ग्राम पंचायत बाल श्रम मुक्त हो।
- ग्राम पंचायत बाल विवाह मुक्त हो।
- लिंग, धर्म, जाति के आधार पर बच्चों के साथ माता–पिता, परिवार व समुदाय द्वारा किये जा रहे भेदभाव की रोकथाम हो।
- पंचायत में बाल संरक्षण की उचित व्यवस्था हो तथा बाल संरक्षण का हनन होने पर बच्चे को उचित सेवाएं उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो।
- पंचायत के पास पंचायत क्षेत्र में देखरेख और संरक्षण की आवयश्यकता वाले बच्चों की सूची हो तथा इन बच्चों के पुनर्वास हेतु पंचायत की अपनी कार्ययोजना तथा इसे क्रियान्वित करने में पंचायत सक्षम हो।
- बच्चों से जुड़े विशेष निर्णयों में पंचायत बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करे।
- सभी जरुरतमंद बच्चों तथा परिवारों को संबंधित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाये।
- बाल संरक्षण के मुद्दों पर कार्रवाई करने हेतु ग्राम पंचायत में बाल संरक्षण समिति का गठन हो।

संभावित अपेक्षाएं

- बाल संरक्षण के बारे में समझ सकेंगे एवं पंचायत में बाल सुरक्षित व बालमैत्री वातावरण निर्माण हेतु विभिन्न सूचकों पर समझ विकसित कर सकेंगे।
- बच्चों के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा, शोषण एवं दुर्व्यवहार को पंचायत के परिपेक्ष में समझ सकेंगे।

सत्र 5

विभिन्न स्तरों पर बाल संरक्षण की संरचनाएं

60 मिनट

- **उद्देश्य**

  विभिन्न स्तरों पर बाल संरक्षण की संरचनाओं को समझना।

- **विधा :** प्रस्तुतीकरण व चर्चा

सामग्री : प्रोजेक्टर, फ्लिप चार्ट, मार्कर।

- **परिचय**

  देश में तेजी से होते आधुनिक तकनीकी, आर्थिक, राजनैतिक व सामाजिक बदलाव के बावजूद हमारे देश में बच्चों की सुरक्षा एक चिंताजनक मुद्दा है। आज भी कमजोर बच्चों के संरक्षण के लिए देशभर में सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। कठिन परिस्थितियों में फंसे बच्चों की सहायता के साथ–साथ विषम परिस्थितियों तथा कार्यों, जिससे बच्चे के साथ दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण, परित्याग तथा अलगाव आदि के शिकार होते हैं उन परिस्थितियों में असुरक्षा को कम करने की जरूरत है। इस हेतु सरकार द्वारा समेकित बाल संरक्षण योजना शुरू की गई है। योजना के तहत बच्चों की सुरक्षा हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण संरचानाएं भी बनाई गई हैं।

गतिविधि–1 प्रस्तुतीकरण व चर्चा

- **चरण–1**

प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बाल संरक्षण के लिए उपलब्ध राज्य, जिला, ब्लॉक तथा पंचायत स्तर पर कार्यरत संरचनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें।

- **चरण–2**

प्रतिभागियों को समेकित बाल संरक्षण योजना तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण), अधिनियम, 2015 की भी संक्षिप्त में जानकारी प्रदान करें।

संभावित अपेक्षाएं

- विभिन्न स्तरों पर बाल संरक्षण की संरचनाओं को समझ सकेंगे।

परिशिष्ट 5.1

समेकित बाल संरक्षण योजना

भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत् बाल संरक्षण के लिए व्यापक ढांचा तैयार कर बच्चों हेतु सुदृढ़ संरक्षित परिवेश तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समेकित बाल संरक्षण योजना लागू की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित समेकित बाल संरक्षण योजना का वर्ष 2010 से राज्य में क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं, अधिनियमों व नीतियों को एक छत के नीचे लाकर प्रभावी व दक्षतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना है। समेकित बाल संरक्षण योजना ''बाल अधिकार संरक्षण'' व ''सर्वोत्तम बाल हित'' नामक सिद्धान्तों पर आधारित है। इस कार्यक्रम की शुरूआत कठिन परिस्थितियों में फंसे बच्चों की सहायता के साथ–साथ विषम परिस्थितियों तथा कार्यों, जिससे बच्चे के साथ दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण, परित्याग तथा अलगाव आदि के शिकार होते हैं उन परिस्थितियों में असुरक्षा को कम करने हेतु की गई है।

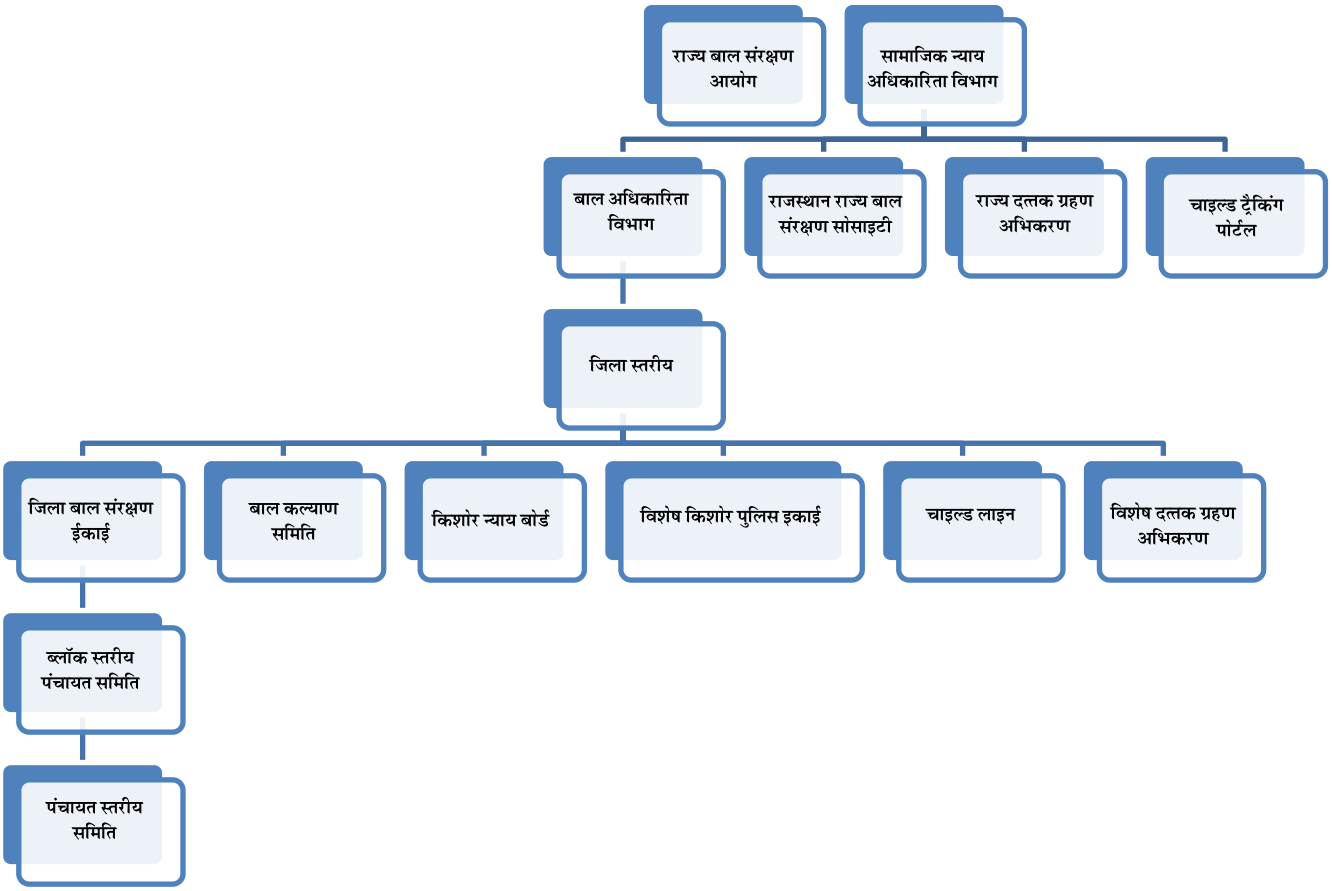

बाल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्यरतढांचे/संरचनाएं

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण), अधिनियम, 2015 और समेकित बाल संरक्षण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने हेतु विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित संरचनाएं कार्यरत हैः–

1. बाल अधिकारिता विभाग (DCR)

राजस्थान सरकार ने राज्य में बजट घोषणा संख्या 111 वर्ष 2013–14 अंतर्गत बाल अधिकारों के संरक्षण एवं बच्चो के

पुनर्वास हेतु निदेशालय बाल अधिकारिता विभाग का गठन किया गया है। यह विभाग राज्य में बाल अधिकारों एवं बच्चों के संरक्षण से संबंधित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों व अधिनियमों जैसे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, राष्ट्रीय बाल नीति व समेकित बाल संरक्षण योजना, मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना, असिस्ट योजना व पहल योजना आदि का प्रभावी क्रियान्वयन कर रहा है।

2. राजस्थान राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (RSCPS)

राजस्थान राज्य बाल संरक्षण सोसायटी का गठन समेकित बाल संरक्षण योजना के राज्य स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु किया गया है। सोसायटी का मुख्य कार्य किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 व समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत् बाल संरक्षण संरचनाओं को स्थापित कर सुदृढ़ करना और प्रभावी संचालन सुनिश्चित करना है। सोसायटी के अध्यक्ष, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति तथा पंचायत स्तर पर पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति गठित की गई है।

3. जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU)

जिला बाल संरक्षण इकाई का गठन किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 106 के तहत प्रत्येक जिले में किया गया है। यह इकाई ICPS योजना के तहत राजस्थान राज्य बाल संरक्षण सोसायटी के अंग के रूप में कार्य कर रही है। इस इकाई का समग्र प्रशासनिक नियंत्रण अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर/ मजिस्ट्रेट होता है तथा जिला स्तर पर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 व समेकित बाल संरक्षण योजना का क्रियान्वयन करने हेतु उत्तरदायी है।

4. ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति (BLCPC)

समेकित बाल संरक्षण योजना के ब्लॉक स्तर तक प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति गठित की गई है। इस समिति के अध्यक्ष सम्बन्धित पंचायत समिति के प्रधान एवं सदस्य सचिव पंचायत समिति के विकास अधिकारी है। समिति का मुख्य कार्य किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 तथा समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता की श्रेणी में आने वाले बच्चों को सुरक्षित एवं बालमैत्री वातावरण प्रदान करने, बाल संरक्षण सेवाओं की बेहतर पहुंच एवं उनमें गुणवत्तापूर्ण सुधार के साथ–साथ सतत् निगरानी करने, नवाचार गतिविधियों द्वारा बाल संरक्षण के विषय में समुदाय को संवेदनशील तथा जागरूक करने, जिला बाल संरक्षण इकाई के साथ समन्वय स्थापित कर बाल अधिकार के मुद्दों पर कार्य योजना तैयार कर उनका क्रियान्वयन के लिए समुदाय एवं पंचायत समिति की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर विभाग के आदेश क्रमांक एफ सान्याअ/प्रशि/परा/2012/349 जयपुर दिनांक 04.12.2012 द्वारा पंचायत समिति स्तरीय बाल संरक्षण समिति का निम्नानुसार गठन किया गया :–

क्र.सं.	सदस्य का नाम	समिति में पद
1.	प्रधान, पंचायत समिति	अध्यक्ष
2.	विकास अधिकारी, संबंधित पंचायत समिति	सदस्य–सचिव
3.	अध्यक्ष, ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति (समस्त सरपंच)	सदस्य
4.	जिला बाल संरक्षण इकाई का सदस्य (सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई (बाल अधिकारिता विभाग) द्वारा नामित)	सदस्य
5.	ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी	सदस्य
6.	उप पुलिस अधीक्षक, संबंधित पंचायत समिति/बाल कल्याण पुलिस अधिकारी	सदस्य
7.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, संबंधित पंचायत समिति	सदस्य
8.	श्रम कल्याण अधिकारी/श्रम निरीक्षक, श्रम विभाग द्वारा नामित	सदस्य
9.	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) संबंधित ब्लॉक/पंचायत समिति	सदस्य
10.	ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित ब्लॉक/पंचायत समिति	सदस्य
11.	समुदाय के दो सम्मानित सदस्य/नागरिक समाज के प्रतिनिधि (कम से कम एक महिला)	सदस्य

नोट–

1. समिति में समुदाय के सम्मानित सदस्य/नागरिक/स्वयं सेवी संस्था प्रतिनिधि का चयन संबंधित प्रधान द्वारा किया जायेगा, जिनका प्रधान द्वारा आवश्यकतानुसार बदलाव किया जा सकेगा।
2. उक्त समिति के प्रभावी संचालन हेतु पृथक से विस्तृत दिशा–निर्देश राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये जायेंगे।

5. पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति (PLCPC)

समेकित बाल संरक्षण योजना का ग्राम पंचायत तक विस्तार हेतु ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति गठित की गई है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता की श्रेणी में आने वाले बच्चों को सुरक्षित एवं बालमैत्री वातावरण प्रदान करने, बाल संरक्षण सेवाओं की बेहतर पहुंच एवं उनमें गुणवत्तापूर्ण सुधार के साथ–साथ सतत् निगरानी करने, नवाचार गतिविधियों द्वारा बाल संरक्षण के विषय में समुदाय को संवेदनशील तथा जागरूक करने, जिला बाल संरक्षण इकाई के साथ समन्वय स्थापित कर बाल अधिकार के मुद्दों पर कार्य योजना तैयार कर उनका क्रियान्वयन के लिए समुदाय एवं पंचायत समिति की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर विभाग के आदेश क्रमांक एफ सान्याअ/प्रशि/परा/2012/348 जयपुर दिनांक 04.12.2016 में संशोधन करते हुए ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का निम्नानुसार गठन किया गया है:–

क्र.सं.	सदस्य का नाम	समिति में पद
1.	सरपंच, ग्राम पंचायत	अध्यक्ष
2.	ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत	सदस्य–सचिव
3.	वार्ड पंच (समस्त)	सदस्य
4.	प्रधानाध्यापक, स्थानीय राजकीय विद्यालय/आदर्श विद्यालय	सदस्य
5.	बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, संबंधित पुलिस थाना द्वारा नामित बीट कान्स्टेबल	सदस्य
6.	जिला बाल संरक्षण इकाई का सदस्य (सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा नामित)	सदस्य
7.	ए.एन.एम., ग्राम पंचायत	सदस्य
8.	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, ग्राम पंचायत	सदस्य
9.	अध्यक्ष, संबंधित शाला प्रबंधन समिति, स्थानीय राजकीय विद्यालय/आदर्श विद्यालय	सदस्य
10.	दो बाल प्रतिनिधि (कम से कम एक बालिका), प्रधानाध्यापक/सरपंच द्वारा नामित (उम्र 12–18 वर्ष)	सदस्य
11.	समुदाय के दो सम्मानित सदस्य/नागरिक समाज के प्रतिनिधि (कम से कम एक महिला/स्वयं सेवी संस्था प्रतिनिधि)	सदस्य

नोट–

1. समिति में समुदाय के सम्मानित सदस्य/नागरिक/स्वयं सेवी संस्था प्रतिनिधि का चयन संबंधित सरपंच द्वारा किया जायेगा, जिनका सरपंच द्वारा आवश्यकतानुसार बदलाव किया जा सकेगा।
2. ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति की रूपरेखा में बिन्दु संख्या 10 में प्रधानाध्यापक/सरपंच द्वारा नामित दो बाल प्रतिनिधियों का चयन किया जायेगा।
3. उक्त समिति के प्रभावी संचालन हेतु पृथक से विस्तृत दिशा–निर्देश राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये जायेंगे।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

1. देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे
2. विधि से संघर्षरत बच्चे।

देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरणों के समाधान हेतु बाल कल्याण समिति तथा विधि से संघर्षरत बच्चों के प्रकरणों के समाधान हेतु किशोर न्याय बोर्ड कार्यरत है।

6. बाल कल्याण समिति (CWC)

बाल कल्याण समिति प्रत्येक जिले में किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 के तहत संचालित है, समिति अधिनियम की धारा 2 (14) के तहत् परिभाषित देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले एवं अन्य

जरूरतमन्द बच्चों जैसे– अनाथ बच्चे, बेघर बच्चे, बाल मजदरी/बाल भिक्षावृति/पलायन/शिक्षा से वंचित बच्चे, बाल हिंसा/दुर्व्यवहार/उपेक्षा/शोषण के शिकार/प्रभावित बच्चे, गंभीर रोग/असाध्य रोग से पीड़ित/मानसिक रूप से बीमार/मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे एवं अन्य जरूरतमन्द बच्चों के प्रकरणों को प्राप्त करने, जांच करने, सुनवाई करने व पुनर्वास प्रदान करने का कार्य करती है।

7. किशोर न्याय बोर्ड (JJB)

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 के तहत प्रत्येक जिले में विधि से संघर्षरत बच्चों के मामलों को प्राप्त करने, सुनवाई करने व न्याय बोर्ड कार्यरत है, जो उक्त श्रेणी के बच्चों को देखरेख, संरक्षण व पुनर्वास प्रदान करने हेतु संबंधित घटकों को आदेशित करता है।

8. विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU)

बालकों से संबंधित पुलिस के सभी कृत्यों का समन्वय करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिलें/शहर में विशेष पुलिस इकाई का गठन किया गया है। इस इकाई का नेत्त्व पुलिस अधीक्षक/पुलिस उप–अधीक्षक रैंक का पुलिस अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। प्रत्येक पुलिस स्टेशन से सहायक उप–निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी नामित किया गया है, जो इस इकाई का सदस्य है इसके अलावा बाल कल्याण के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले दो सामाजिक कार्यकर्ता जिसमें एक महिला का होना अनिवार्य है, कार्यरत हैं।

9. चाईल्ड लाईन (1098)

बच्चों की सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा चाईल्ड हैल्प लाईन संचालित की जा रही है जिस पर किसी भी संकटग्रस्त या मुसीबत में फंसे बच्चे की जानकारी हम 1098 नम्बर पर निःशुल्क कॉल कर दे सकते हैं। राज्य के 23 जिलों में यह हैल्पलाइन सेवा वर्तमान में संचालित है।

10. राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (RSCPCR)

बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत राजस्थान में वर्ष 2010 में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाया गया है, जो बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न अधिनियमों की निगरानी सुनिश्चित करने हेतु कार्यरत है। आयोग में बच्चों के मुददों पर किसी भी विभाग/एजेंसी द्वारा कार्यवाही ना होने पर पत्र के माध्यम से या सीधे सम्पर्क कर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को सूचित किया जा सकता है। सम्पर्क सूत्र–अध्यक्ष राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग–2–जलपथ गांधी नगर, जयपुर, 302015 दूरभाष–0141–2709319

सत्र 6

बाल कल्याणकारी योजनाएं

60 मिनट

उद्देश्य

केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न बाल कल्याणकारी/सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से प्रतिभागियों को अवगत कराना।

विधा : प्रस्तुतीकरण

सामग्री : प्रोजेक्टर, फ्लिप चार्ट, मार्कर।

परिचय

इससत्र के माध्यम से प्रतिभागी केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न बाल कल्याणकारी/सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे।

गतिविधि-1 प्रस्तुतीकरण

चरण-1

प्रतिभागियों का परिशिष्ट में दी गई बाल कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करें व उन पर चर्चा करें।

संभावित अपेक्षाएं

- केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न बाल कल्याणकारी/सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से प्रतिभागी अवगत हो सकेंगे।

परिशिष्ट 6.1

बाल कल्याण एवं बाल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

क्रं. सं.	योजना का नाम	पात्रता	देय लाभ	आवेदन कहां किया जाये/ नोडल विभाग
1.	**पालनहार योजना**	• अनाथ बच्चे • निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चे • नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे • मृत्युदण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता/पिता के बच्चे • पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे • एचआईवी/एडस पीड़ित माता/पिता के बच्चे • कुष्ठरोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चे • पालनहार का वार्षिक आय ₹ 1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा पालनहार एवं बच्चे कम से कम तीन वर्ष से राजस्थान राज्य में निवासरत हो	• 0 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु ₹ 500 प्रति माह • 6 से 18 वर्ष के बच्चों हेतु ₹ 1000 प्रति माह • ₹ 2000 प्रतिवर्ष अतिरिक्त एकमुश्त देय (विधवा व नाता पालनहार में देय नहीं)	ई–मित्र कियोस्क केन्द्र पर जाकर एस.एस.ओ. पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन करना होता है। योजना की अधिक जानकारी हेतु जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में सम्पर्क करें।

2.	**बाल गृह/बालिका गृह योजना**	6 से 18 वर्ष के निराश्रित बालक/बालिकाएं	देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास व पुनर्वास प्रदान करना	उक्त श्रेणी के बच्चों को जिला स्तर पर कार्यरत बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होता है।
3.	**आपकी बेटी योजना**	राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 वीं में पढ़ने वाली बालिकाएं जिनके माता–पिता या उनमें से किसी एक की मृत्यु हो चुकी हो।	कक्षा 1 से 8 तक ₹1100/– एवं 9 से 12 तक ₹ 1500/– वार्षिक	संबंधित विद्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा कार्यालय
4.	**जनजाति छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता**	• बलिका अनुसूचित क्षेत्र की मूल निवासी हो। • माता/पिता आयकरदाता नहीं हो। • बालिका राजकीय विद्यालय में अध्यनरत हो। • राज्य में संचालित राजकीय विद्यालयों में कक्षा 11वीं एवं 12वीं में नियमित रूप से अध्यनरत हो।	₹ 350/– प्रतिमाह की दर से दस माह तक (₹ 3500/– एकमुश्त)	संबंधित विद्यालय/जनजाति क्षेत्र विभाग के छात्रावास
5.	**ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना**	• स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल की कक्षा 6 से 8 की बालिकाएं, 2 किमी. से अधिक दूरी • मॉडल स्कूल की कक्षा 9 से 12 की बालिकाएं, 5 किमी. से अधिक दूरी • अन्य राज. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक की 9 से 12 की बालिकाएं, 5 किमी. दूरी	• मॉडल स्कूल कक्षा 6 से 8 हेतु ₹ 20 प्रति दिवस, प्रति बालिका • मॉडल स्कूल कक्षा 9 से 12 हेतु ₹ 25 प्रति दिवस, प्रति बालिका • अन्य राज.माध्यमिक /उच्च माध्य. 9 से 12 हेतु ₹ 20 प्रति दिवस, प्रति बालिका	संबंधित विद्यालय अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद/जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय
6.	**मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना**	• 17 से 21 वर्ष के लाभार्थी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय/अनुदानित बाल गृहों में आवासरत या रह चुके बच्चे। • पालनहार योजना के लाभान्वित या लाभ ले चुके बच्चे। • नोट– उच्च एवं तकनीक शिक्षा प्राप्त कर रहे बालक/बालिका को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् भी कोर्स की समाप्ति तक योजना का लाभ मिलेगा। उक्त बालक/बालिका सरकार की किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं ले रहा हो।	निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण / शैक्षणिक संस्थान द्वारा ली गई कोर्स फीस का पुनर्भरण/जिला उद्योग केन्द्र द्वारा स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आवश्यक उपकरण कच्चा माल आदि क्रय करने हेतु ₹ 50000 या वास्तविक लागत जो भी कम हो।	जिला स्तर पर कार्यालय उपनिदेशक/सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या संबंधित क्षेत्र के बाल गृह प्रभारी से सम्पर्क किया जा सकता है।
7.	**सहयोग एवं उपहार योजना**	• योजनान्तर्गत सहायता केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही दी जा सकेगी। • योजना केवल 18 वर्ष या अधिक आयु	पात्र वर्ग की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर कन्याओं के विवाह पर	सहायता/अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु संबंधित जिले के जिला अधिकारी–सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

		की किन्ही दो कन्या संतानों के विवाह हेतु ही लागू होगी। • समस्त वर्गों के बी.पी.एल./अन्त्योदय/आस्था कार्ड धारी परिवार • योजनान्तर्गत आर्थिक दृष्टि से ऐसी कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान पात्रता निम्नानुसार होगीः– (अ) महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई हो तथा उसने पुनर्विवाह नहीं किया है। (ब) विधवा की मासिक आय हर स्त्रोत से ₹ 50 हजार वार्षिक से अधिक नहीं हो। (स) परिवार में 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य परिवार में नहीं हो। • ऐसी विवाह योग्य कन्या जिसके माता–पिता दोनों का देहान्त हो चुका है तथा देखभाल करने वाली संरक्षक उक्त नियमों में वर्णित पात्रता धारक विधवा है। • ऐसी विवाह योग्य कन्या जिसके माता–पिता दोनों कोई भी जीवित नहीं है तथा परिवार के किसी भी सदस्य आय ₹50 हजार वार्षिक से अधिक नहीं है।	₹10 हजार सहायता राशि देय होगा। –पात्र वर्गों की 10वीं (माध्य. शिक्षा बोर्ड) उत्तीर्ण कन्याओं के विवाह पर ₹ 15 हजार (₹10 हजार व ₹ 5 हजार प्रोत्साहन राशि) सहायता राशि देय होगा। – पात्र वर्गों की स्नातक उत्तीर्ण कन्याओं के विवाह पर ₹ 25 हजार (₹ 10 हजार व ₹ 10 हजार प्रोत्साहन राशि) सहायता राशि देय होगा।	को विवाह के एक माह पूर्व व विवाह के छः माह के बाद तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं।
8	**मुख्यमंत्री राज श्री योजना**	• ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म 1 जून 2016 अथवा एसके प्श्चात् हुआ है तथा जिनके माता–पिता आधार कार्ड अथवा भामाशाह कार्डधारी हो। • राजस्थान की मूल निवासी प्रसुताओं के लिए। • राज्य के बाहर की प्रसुताओं को मुख्यमंत्री राजश्री योजना के परिलाभ देय नही होगें। • संस्थागत प्रसव होने पर।	योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता – पिता/अभिभावक को कुल विभिन्न चरणों में कुल ₹50,000 का भुगतान निम्नानुसार होगाः– 1. बालिका के संस्थागत प्रसव पर ₹2500 की सहायता 2. बालिका के एक वर्ष/प्रथम वर्षगांठ पर ₹2500 3. बालिका के राजकीय विद्यालय मे प्रथम कक्षा में प्रवेश पर ₹ 4000 4. छठी कक्षा में प्रवेश पर ₹ 5000 5. दसवीं कक्षा में प्रवेश पर ₹ 11000 6. राजकीय विद्यालय से 12 कक्षा उतीर्ण करने पर ₹ 25000 सहायता	ऑनलाईन आवेदन ई–मित्र/अटल सेवा केन्द्र/अन्य उपलब्ध विकल्पों आंगनबाड़ी केन्द्र/स्वास्थ्य केन्द्र आदि के माध्यम से। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। महिला एवं बाल विकास विभाग।

9.	**इन्दिरा प्रियदर्शनी पुस्स्कार योजना**	सभी वर्ग की बालिकाओं के लिए जो कक्षा 10 वीं एवं 12 वी में जिलें में प्रथम स्थान पर आयी हो।	कक्षा 10 वी के लिए ₹75000 एवं कक्षा 12 वीं के लिए ₹100000 पुरस्कार राशि।	सचिव, बालिका शिक्षा फाउन्डेशन/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय
10.	**अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना**	• छात्र–छात्रा राजस्थान का मूलनिवासी हो। • छात्र–छात्रा अनुसूचित जाति काहो। • छात्र–छात्रा राजकीय/मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थान में • मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गतअध्ययनरत हो। • छात्र–छात्रा केमाता–पिता/पति–पत्नि/संरक्षक की वार्षिक आय ₹ 2.50 लाख तक हो।	अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क (Non- Refundable Fees) एवं पाठ्यक्रम के अनुसार देय अनुरक्षण भत्ता	ई–मित्र/कियोस्क के माध्यम से एस.एस.ओ. पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन करें अथवा संबधित जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सम्पर्क करें।
11.	**अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना**	1. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. छात्र–छात्रा अनुसूचित जाति का हो। 3. छात्र–छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत अध्ययनरत हो। 4.छात्र–छात्रा के माता–पिता/ पति–पत्नी/संरक्षक की वार्षिक आय ₹ 2.50 लाख तक हो।	अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क (Non- Refundable Fees) एवं पाठ्यक्रम के अनुसार देय अनुरक्षण भत्ता	ई–मित्र/कियोस्क के माध्यम से एस.एस.ओ. पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन करें अथवा संबधित जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सम्पर्क करें।
12.	**विशेष पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना**	1. छात्र–छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत अध्ययनरत हो। 2. छात्र–छात्रा विशेष पिछडा वर्ग की सम्मिलित जाति का हो। 3. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो। 4. छात्र–छात्रा के माता–पिता/पति–पत्नि/संरक्षक की वार्षिक आय ₹ 2.50 लाख तक हो।	अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क (Non- Refundable Fees) एवं पाठ्यक्रम के अनुसार देय अनुरक्षण भत्ता	ई–मित्र/कियोस्क के माध्यम से एस.एस.ओ. पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन करें अथवा संबधित जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सम्पर्क करें।
13.	**अन्य पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना**	1. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो। 2.छात्र–छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत अध्ययनरत हो 3. छात्र–छात्रा अन्य पिछडा वर्ग जातियों के लिए निर्धारित 1 से 17 प्राथमिकताओं का हो। 4. छात्र–छात्रा के माता–पिता/पति–पत्नि/संरक्षक की वार्षिक आय ₹ 1.00 लाख तक हो।	अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क (Non- Refundable Fees) एवं पाठ्यक्रम के अनुसार देय अनुरक्षण भत्ता	ई–मित्र/कियोस्क के माध्यम से एस.एस.ओ. पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन करें अथवा संबधित जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सम्पर्क करें।

14.	**डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना**	1. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो। 2 छात्र–छात्रा आर्थिक पिछडा वर्ग के लिए निर्धारित 1 से 17 प्राथमिकताओं का हो। 3. छात्र–छात्रा आरक्षित वर्ग की जातियों (SC,ST,OBC,SBC and DNTs) के अतिरिक्त सामान्य जातियों का हो। 4. छात्र–छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत अध्ययनरत हो 5. छात्र–छात्रा के माता–पिता /पति–पत्नि /संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 01.00 लाख तक हो।	अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क (Non- Refundable Fees) एवं पाठ्यक्रम के अनुसार देय अनुरक्षण भत्ता	ई–मित्र/कियोस्क के माध्यम से एस.एस.ओ. पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन करें अथवा संबधित जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सम्पर्क करें।
15.	**डॉ. अम्बेडकर DNTs उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना**	1. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. छात्र–छात्रा DNTs (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, विशेष पिछडा वर्ग में शामिल जातियों को छोड़कर) के अतिरिक्त जातियों का हो। 3. छात्र–छात्रा राजकीय/ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत अध्ययनरत हो। 4. छात्र–छात्रा के माता–पिता/ पति–पत्नि /संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 2.00 लाख से कम हो।	पाठ्यक्रम के अनुसार देय केवल अनुरक्षण भत्ता(Maintenance allowance)	ई–मित्र/कियोस्क के माध्यम से एस.एस.ओ. पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन करें अथवा संबधित जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सम्पर्क करें।
16.	**मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना**	1. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. छात्र–छात्रा किसी भी वर्ग/जाति से हो। 3. छात्र–छात्रा राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो। 4. राष्ट्रीय स्तर की परिशिष्ठ–अ पर सूचीबद्व शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को ही यह छात्रवृति देय होगी। 5. छात्र–छात्रा के माता–पिता /पति–पत्नि / संरक्षक की वार्षिक आय ₹ 5.00 लाख रूपये से कम हो।	केवल अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्कों (Non-Refundable Fees) का आधा अर्थात् 50 प्रतिशत	ई–मित्र/कियोस्क के माध्यम से एस.एस.ओ. पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन करें अथवा संबधित जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सम्पर्क करें।
17.	**विशेष योग्यजन छात्रवृति योजना**	i. छात्र/छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो। ii. छात्र/छात्रा गतवर्ष कक्षा में उतीर्ण घोषित किया गया हो। iii. आवेदक के पास अधिकृत चिकित्सा अधिकारी/बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या	अनुरक्षण भत्ता (Maintenance allowance) व फीस का पुनर्भरण	संबंधित जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

		अधिक का निःशक्तता प्रमाण पत्र हो। iv. अभिभावक/संरक्षक की वार्षिक आय ₹ 2.00 लाख से अधिक न हो। v. राजस्थान मूल निवासी हो। vi. छात्र/छात्रा पूर्व में किसी अन्य प्राकर की छात्रवृति/भता राज्य सरकार अथवा स्वयंसेवी संस्था/ट्रस्ट से प्राप्त नही कर रहा हो।		

सत्र 7

संरक्षणात्मक वातावरण निर्माण हेतु समेकित कार्य-योजना

60 मिनट

उद्देश्य

संकटग्रस्त परिवारों एवं बच्चों को संरक्षित करने हेतु पंचायत स्तरीय कार्य योजना तैयार करने हेतु प्रतिभागियों की समझ विकसित करना।

विधा : समूह कार्य एवं चर्चा

सामग्री : फ्लिप चार्ट, मार्कर।

परिचय

इससत्र के माध्यम से प्रतिभागी केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न बाल कल्याणकारी/सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे।

गतिविधि-1 समूह कार्य एवं चर्चा

चरण-1

प्रतिभागियों को पंचायत में सुदृढ़ एवं बालमैत्री पूर्ण वातावरण निर्माण हेतु पंचायत प्रतिनिधियों को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कार्य योजना बनाने हेतु प्रेरित करें।

चरण-1

कार्ययोजना बनाने के लिए आवश्यक चरणों को विस्तार पूर्वक साझा करें। कार्य योजना बनाने हेतु कुछ आवश्यक चरण इस प्रकार हो सकते है–

विशेष देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता एवं अन्य जरूरतमन्द बच्चों की पहचान करना

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (14) में परिभाषित एवं अन्य जरूरतमन्द बच्चों को चिन्हित करने के लिए सहभागियों का क्षमतावर्धन करेगा। देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता एवं अन्य जरूरतमन्द बच्चों की श्रेणियां निम्नलिखित है–

1. अनाथ बच्चे/ बेघर बच्चे
2. बाल मजदूरी/बाल भिक्षावृति/पलायन/शिक्षा से वंचित बच्चे
3. बाल हिंसा/दुर्व्यवहार/उपेक्षा/शोषण के शिकार/प्रभावित बच्चे
4. गंभीर रोग/असाध्य रोग से पीड़ित/मानसिक रूप से बीमार/मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे
5. माता–पिता/संरक्षक मौजूद हैं, पर बच्चे को देखरेख और संरक्षण उपलब्ध कराने में अयोग्य
6. गुमशुदा या भागा हुआ बालक
7. माता–पिता द्वारा परित्यक्त या अभ्यर्पित बच्चे
8. लैंगिक दुर्व्यवहार या अवैध कार्यों के उद्देश्य से बच्चों का दुर्व्यवहार/प्रताड़ना/शोषण किया गया, किया जा रहा या किये जाने की संभावना वाले बच्चे
9. असुरक्षित/मादक द्रव्य दुरूपयोग/अवैध व्यापार/बाल तस्करी से पीड़ित/प्रभावित बच्चे
10. अयुक्तियुक्त/अविवेकपूर्ण अभिलाभों के लिए दुरूपयोग किया जा रहा है या किये जाने की संभावना वाले बच्चे
11. प्राकृतिक आपदा/सशस्त्र संघर्ष/सिविल उपद्रव्य से पीड़ित या प्रभावित बच्चे
12. बाल विवाह हो चुके या होने की संभावना वाले बच्चे
13. आजीवन कारावास प्राप्त कर चुके माता–पिता की संतान
14. विधवा/नाता/पुर्नविवाह करने वाली माता कीसंतान
15. अन्य श्रेणी

नोट

ग्राम पंचायत उपरोक्त श्रेणियों के बच्चों के लिए व्यक्तिगत देखभाल कार्य–योजना तैयार करेगी तथा जिला बाल संरक्षण इकाई का सहयोग लेते हुए अपने जप्रतिनिधियों द्वारा इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। साथ ही साथ नियमित रूप से इन श्रेणियों में आने वाले बच्चों के लिए कार्य योजना तैयार कर इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी तथा समय–समय पर इसकी समीक्षा करेगी।

➢ **संभावित अपेक्षाएं**

- संकटग्रस्त परिवारों एवं बच्चों को संरक्षित करने हेतु पंचायत स्तरीय कार्य योजना तैयार करने हेतु प्रतिभागियों की समझ विकसित हो सकेगी।

परिशिष्ट 7.1

ग्राम पंचायत में संरक्षणात्मक वातावरण निर्माण के लिए रूपरेखा तैयार करने हेतु संयुक्त कार्य योजना

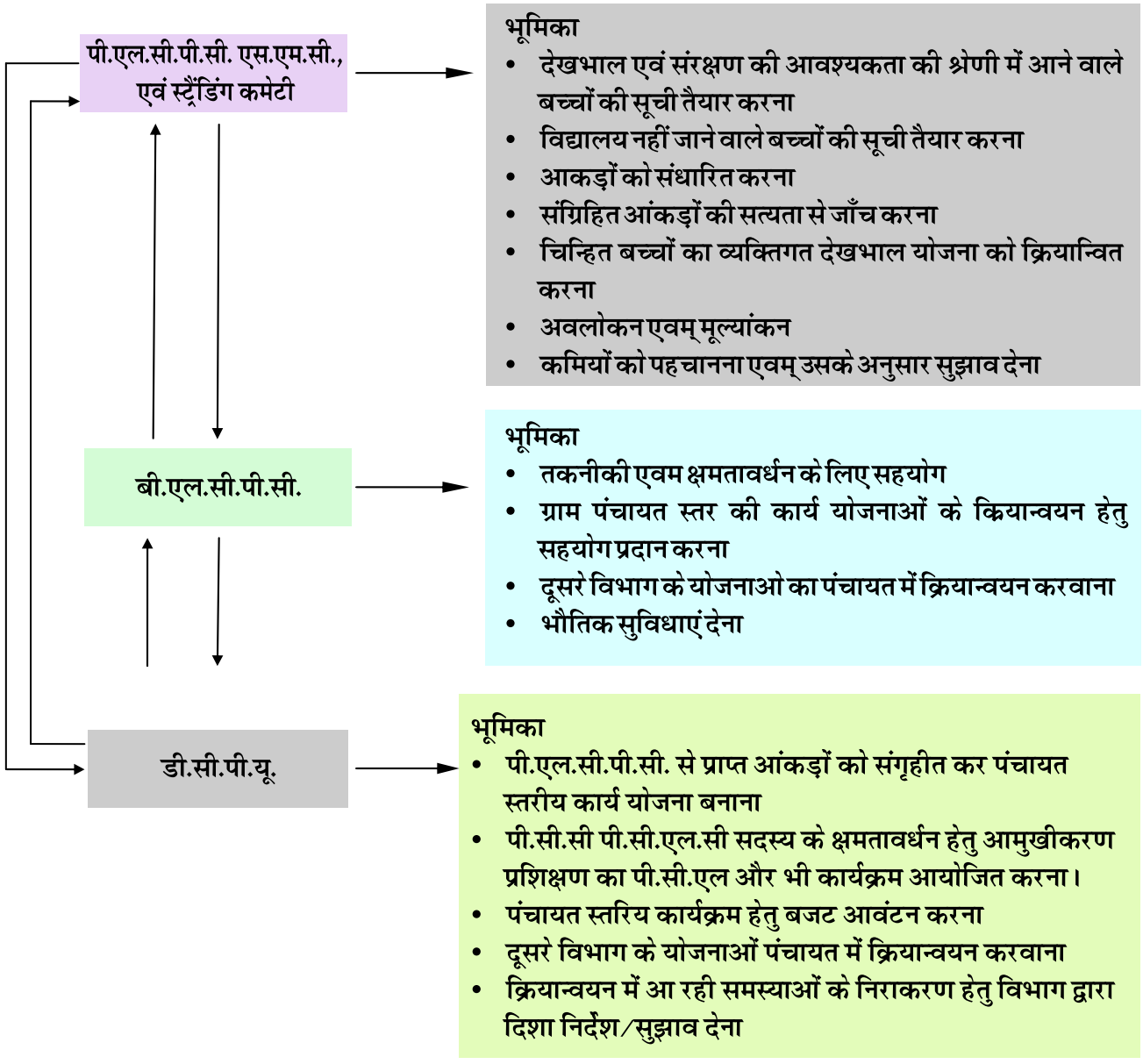

सत्र 8

प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन

60 मिनट

- **उद्देश्य**

  प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रभावकारिता को जानना।

- **विधा :** प्रश्नोत्तरी

सामग्री : प्रश्नसूची।

- **परिचय**

इस सत्र के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रभावकारिता को जानने में मदद मिलेगी।

गतिविधि – प्रश्नोत्तरी

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभावकारिता को जानने के लिए प्रशिक्षण पूर्व व प्रशिक्षण पश्चात् प्रश्नोत्तर/चर्चा द्वारा किया जायेगा। चर्चा के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न इस प्रकार होंगे–

1. कितनी उम्र तक के व्यक्ति को बालक कहा जाता है ?
2. क्या लड़कों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार नही हो सकता है?
3. बच्चों को विशेष अधिकार क्यों दिये गये है?
4. क्या बालिकाओं को अपने छोटे भाई–बहनों की देखरेख करना उसकी जिम्मेदारी है?
5. क्या पंचायत स्तर पर बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु कोई समिति है? पूरा नाम बताये।
6. बाल अधिकार कितने प्रकार के होते है।
7. क्या आपके ग्राम पंचायत में बच्चों के साथ हिंसा, शोषण एवं दुर्व्यवहार होता है?
8. बाल विवाह किसे कहते है ?
9. बाल श्रम क्या है ?
10. बालकों की देखरेख एवं संरक्षण के लिए कौनसा कानून लागू है?
11. बालकों की देखभाल एवं संरक्षण में पंचायत की क्या भूमिका है?
12. बाल कल्याण समिति से क्या समझते है?
13. चाइल्ड लाइन क्या है?

संभावित अपेक्षाएं

- प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रभावकारिता को जान सकेंगे।

Child Resource Centre,
Harish Chandra Mathur Rajasthan State Institute of Public Administration,
Government of Rajasthan, Jawahar Lal Nehru Marg,
Jaipur (Raj) 302017
Website: www.hcmripa.gov.in
Mail: hcmripa@rajasthan.gov.in
Fax: 0141-2705420, 2702932
Phone: 0141-2706556, 2706268

unicef
unite for children